तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3.17	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित वकील विपक्षी ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र के दर्ज होने पर ही आपत्ति की व दर्ज पर विपक्षी के आक्षेपो पर बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी का कहना है कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी सं. 3344 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा जिसके खाता नं. 3033 है की पत्थरगढ़ी कराना चाहा उपरोक्त पत्थरगढ़ी के लिए स्वंय को वक्फ अधिकरण के निर्णय को आधार बनाया है साथ ही उन्होने अपने प्रा० पत्र मे यह भी कथन किया है कि राजस्थान सरकार वक्फ बोर्ड के रेकार्ड मे रेकार्ड सं. 65 दिनांक 23.9.1965 दर्ज मे 74 मे भी दर्ज है उस कारण सीमा के मध्य विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी किया जाना आवश्यक है इसलिए पत्थरगढ़ी का प्रा. पत्र दर्ज कर आदेश फरमाया जावे। विपक्षी अधिवक्ता ने उपरोक्त प्रा. पत्र के दर्ज पर प्रारम्भिक आपत्ति करते हुए यह कथन किया की उपरोक्त प्रा. पत्र को प्रस्तुत करने का प्रार्थी को कोई अधिकार नही है क्यो कि जिस आराजी बाबत प्रार्थी पत्थरगढ़ी कराना चाहता है वह आराजी सं. 3033 रकबा 04 बिघा 18 बिस्वा गैर मुमकिन आबादी वर्तमान मे प्रार्थी के नाम पर खातेदारी अधिकारो से दर्ज नही होकर उपरोक्त आराजी नं. 3033 के वर्तमान खातेदार राजस्थान सरकार है। इसके अलावा विपक्षी ने अपनी बहस मे यह भी कथन किया की प्रार्थी स्वंय ने अपने प्रा० पत्र की चरण सं. 05 मे यह स्वीकार किया कि उपरोक्त आराजी सं. 3033 वर्तमान मे रिसीवरी के अधीन होकर थाना मांडल को प्रापक नियुक्त किया गया है उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

इस। कारण उपरोक्त आराजी सं. 3033 न तो प्रार्थी
के खातेदारी अधिकारी की है और न ही उपरोक्त
आराजी पर प्रार्थी का कब्जा ही प्रकट होता है।
प्रार्थी के बारे मे विपक्षी ने यह भी कथन किया
कि उपरोक्त आराजियात के सम्बन्ध मे राजस्थान
उच्च न्यायालय जोधपुर मे स्वामित्व सम्बन्धी प्रश्न
का लम्बित का वाद विचाराधीन है जिसमे साक्ष्य
निर्णय हेतु यह प्रार्थना पत्र कोई लोकसस्टेन्डाई
नही होते हुए भी यह प्रार्थना पत्र विधिक
प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए यहां प्रस्तुत
किया गया है जिसको विशेष हर्जे खर्चे सहित प्रारम्भिक
स्तर पर ही खारिज किया जावे।

मैने उभयपक्षो की बहस व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत
प्रार्थना पत्र व दस्तावेजो के अवलोकन के पश्चात
यह जाहिर आया है कि प्रार्थी न तो आराजी सं
3033 का खातेदार है और न ही प्रार्थी का कब्जा
ही उपरोक्त आराजियात पर है इस कारण किसी भी
न्यायिक प्रक्रिया मे न्यायालय से कोई भी अनुतोष
प्राप्त करने के लिए प्रार्थी को अपना स्वामित्व व
स्वत्व साबित करना होता है जो प्रार्थी ने अपने
प्रार्थना पत्र मे कही भी नही दर्शाया है प्रार्थी
ने स्वय ने चरण सं- 05 मे स्वीकार किया है कि
उपरोक्त आराजी सं. 3033 पर थानाधिकारी मांडल
को सन् 1977 से ही प्रापक नियुक्त किया गया है
तो फिर प्रार्थी पत्थरगढ़ी कराने का किस प्रकार
अधिकारी हो सकता है उपरोक्त आराजी के संरक्षण
संवर्धन, अनुरक्षण व परिरक्षण का दायित्व व
अधिकार केवल मात्र प्रापक का ही है। और यह
आवेदन पत्र प्रापक के माध्यम से प्रेषित नही किया
गया है।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व दस्तावेजो से ही यह स्पष्ट हो रहा है कि न्यायालय से पक्षकारादी का आदेश प्राप्त कर कोई अन्य उद्देश्य न्यायालय का उपयोग कर प्राप्त करना चाहता है ऐसी स्थिति मे न्यायालय को जब प्रथम दृष्टया ही प्रार्थी के द्वारा किये जा रहे कुत्सित कृत्य की जानकारी हो गई है तो अब इस प्रार्थना पत्र को न्यायालय मे प्राथमिक स्तर पर ही खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है और भविष्य मे प्रार्थी को आगाह किया जाता है कि इस प्रकार के तुच्छ व न्यायिक प्रक्रियाओं का दुरूपयोग करने वाले प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही करे। अतः आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक स्तर पर औचित्य हीनता से ग्रसित होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	